दिनांक–05.06.2026

पत्रावली आदेश नियत है।

वर्तमान अंतरण प्रार्थना पत्र योजित कर वाद अंतर्गत धारा 126(2) दं0प्र0सं0 को ग्राम न्यायालय मीरगंज से परिवार न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की याचना की गयी है।

उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में वाद संख्या का उल्लेख प्रस्तर 1 लगायत 6 में नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र के शीर्ष पर मु0 सं0 626/2025 टंकित है।

वाद ग्राम न्यायालय से परिवार न्यायालय में अंतरित किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बरेली की न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बरेली के प्रशासनाधीन नहीं है।

तद्नुसार प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.06.05 16:28:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court